Stamps and Registration Department
Office of the Sub Registrar VI
JAIPUR
(Rule 75 & 131)
FEE RECEIPT

Fee Receipt No	2014396004510	Date	28/07/2014
Presenter Name	JAGDISH PRASAD GOYAL	Document S. No	2014396004427
Presenter/Property Address	HOTEL LAND PLOT NO AT KALWAR SCHEME NEAR RAILWAY STATION JAIPUR AS DIRECTOR M/S D.C. AGARWALnull		
Document Type	Lease deed for local bodies (Patta)		
Claiment Name	JDA	Payment Mode	Cash
Face Value	4232250	Evaluated Value 0	Stamp Value 211620

Ord- registration fee	42330	commssion	0
csi_more_50000	300	custody	0
stamp(memorandom)	0	reg(memorandom)	0
Penalty	0	us_57	0
stamp duty	0	Surcharge	0
us_25_34	0	others	0
us_64_67	0	Inspection_fee	0
		Total :	42630

Forty Two Thousand Six Hundred Thirty Only

Cashier

Sub Registrar JAIPUR-VI

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

75AA 471480

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जोन-2

.......२०१५११.......योजना के

होटल साईट भूखण्ड संख्या.................... क्षेत्रफल 1732.50

प्रीमि के लिए लीजडीड हेतु २११६२०+१०

रुपये के स्टाम्प संलग्न है ।

प्राधिकृत अधिकारी
एवं उपायुक्त जोन–2
ज. वि. प्रा., जयपुर

राजस्थान

15 JUL 2014

3962

68/9

जयपुर

INDIA NON JUDICIAL

Government of Rajasthan

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-RJ01350936524132M
Certificate Issued Date	:	15-Jul-2014 11:22 AM
Account Reference	:	SHCIL (FI)/ rjshcil01/ RAMBAGH/ RJ-JP
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-RJRJSHCIL0101413336414620M
Purchased by	:	D C AGRAWAL AND COMPANY
Description of Document	:	Article 33(c)(ii) Lease Deed for Local Bodies (Patta)
Property Description	:	HOTEL LAND KALWAD SCHEME NEAR RAILWAY STATION JAIPUR
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	JDA
Second Party	:	D C AGRAWAL AND COMPANY
Stamp Duty Paid By	:	D C AGRAWAL AND COMPANY
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	2,11,620 (Two Lakh Eleven Thousand Six Hundred And Twenty only)

.................Please write or type below this line.................

............कालवाड............योजना के

होटल भूखण्ड संख्या.................... क्षेत्रफल 1732-50

वर्गगज के लिए लीजडीड हेतु 211620/-

रुपये के स्टाम्प संलग्न है ।

प्राधिकृत अधिकारी
एवं उपायुक्त जोन–2
ज. वि. प्रा., जयपुर

0000707621

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

Warning

"The contents of this certificate can be verified and authenticated world-wide by any members of the public at www.shcilestamp.com or at any Authorised collection center address displayed at www.shcilestamp.com free of cost."

"Any alteration to this certificate renders it invalid. Use of an altered certificate without all the security features could constitute a criminal offence"

"This document contains security features like coloured background with Lacey Geometric Flexible patterns and Subtle Logo images, Complex ornamental design borders, Anti - copy text, the appearance of micro printing, artificial watermarks and other Overt and Covert features."

INDIA NON JUDICIAL

Government of Rajasthan

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-RJ01393993923844M
Certificate Issued Date	:	28-Jul-2014 03:19 PM
Account Reference	:	SHCIL (FI)/ rjshcil01/ CHOUGHAN/ RJ-JP
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-RJRJSHCIL0101458597218734M
Purchased by	:	D C AGRAWAL AND CO
Description of Document	:	Article 33(c)(ii) Lease Deed for Local Bodies (Patta)
Property Description	:	HOTEL LAND PLOT AT KALWAR SCHEME NEAR RAILWAY STATION JAIPUR
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	J D A
Second Party	:	D C AGRAWAL AND CO
Stamp Duty Paid By	:	D C AGRAWAL AND CO
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	21,162 (Twenty One Thousand One Hundred And Sixty Two only)

----------Please write or type below this line----------

J.K. Goyal

0000701310

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as [illegible] available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

Warning

"The contents of this certificate can be verified and authenticated world-wide by any members of the public at www.shcilestamp.com or at any Authorised collection center address displayed at www.shcilestamp.com free of cost."

"Any alteration to this certificate renders it invalid. Use of an altered certificate without all the security features could constitute a criminal offence"

"This document contains security features like coloured background with Lacey Geometric Flexible patterns and Subtle Logo images, Complex ornamental design borders, Anti - copy text, the appearance of micro printing, artificial watermarks and other Overt and Covert features."

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

शहरी जमाबन्दी के आधार पर ~~[struck]~~ होटल के अभिप्रायों के लिए जमीन की लवि[...]

लीज डीड संख्या 401

संवत [...]

यह इकरारनामा जो आज 16-7 2004 के छब्बीस वें दिन एक ओर जयपुर विकास प्राधिकरण जिन्हें इसके बाद प्राधिकरण कहकर संबोधित किया गया है और दूसरी ओर श्री मैसर्स [...] अग्रवाल एण्ड कम्पनी पुत्र श्री भागीदार जरिये निदेशक श्री जगदीश प्रसाद गोयल जाति महाजन

व्यवसाय व्यापार निवासी बी-89, गोयल निवास, गोविन्द मार्ग, राजापार्क, जयपुर

(जिनको इसके लीजधारक कहकर संबोधित किया गया है और इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के बीच लिखा गया है।

इस बात का साक्षी है कि रुपये 35,87,968=00 अंकन रुपये पैंतीस लाख सत्तासी हजार नौ सौ अडसठ मात्र की रकम के नजराना जो लीजधारक के द्वारा अदा कर दिया गया है, और जिसकी रसीद जयपुर विकास प्राधिकरण इसके द्वारा स्वीकार करती है, और इसमें उल्लिखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जावेंगे, के एवज में जयपुर विकास प्राधिकरण इसके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम प्लॉट (जिसे इसके बाद उक्त जमीन कह कर सम्बोधित किया गया) प्रदान और लीज करती है जो योजना कालवाड़

में स्थित है और जो अपनी सीमाओं और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गए परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखलाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व सम्बन्धी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, बन्धनों, शर्तें और करारों के आधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिये अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात्:-

1. लीजधारक जयपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय में या ऐसे अन्य स्थान पर जिसे प्राधिकरण समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रेल के प्रथम दिन उक्त जमीन के सम्बन्ध में शहरी जमाबन्दी के तौर पर रुपये 3,22,141=00 अंके तीन लाख बाईस हजार एक सौ इकतालीस रुपये पैसे मात्र पेशगी अदा करेगा।
2. लीजधारक द्वारा उक्त जमीन के लिये देय शहरी जमाबन्दी कम से कम पन्द्रह वर्ष की प्रत्येक उत्तरोत्तर अवधि के अन्त में दोहराई जा सकेगी। किन्तु ऐसे किसी पुनरीक्षण के समय कोई बढ़ोतरी हो तो वह उस शहरी जमाबन्दी की रकम से जो उसे तुरन्त पूर्व अवधि में काबिल अदा थी जिसके सम्बन्ध में ऐसी दोहराने की कार्यवाही की गई है, पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। नियमान्तर्गत यदि भूमि का हस्तान्तरण, गिफ्ट आदि किसी भांति से लेने पर शहरी जमाबन्दी की राशि ऐसे प्रत्येक संशोधन या हस्तान्तरण के साथ 25 प्रतिशत बढ़ जावेगी।
3. उपरोक्त तारीख तक किसी रकम या परिवर्धित रकम या उसके किसी अंश की जो शहरी जमाबन्दी के कारण वाजिब हो, अदायगी न करने पर प्राधिकरण ऐसी रकम या अंश को उस तरीके से जो उस समय मालगुजारी की बकाया की वसूली के लिए निर्देशित किया गया है, वसूल करेगी और वसूल करने के लिये सक्षम होगी।
4. उक्त जमीन का उपयोग केवल ~~[struck]~~ होटल प्रयोजन हेतु किया गया जावेगा एवं इस पर केवल ~~[struck]~~ होटल उपयोग हेतु निर्माण किया जावेगा।
5. इस तहरीर दस्तावेज की तारीख से दो वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो एतदर्थ प्राधिकरण द्वारा बढ़ा दी जावे खरीददार उक्त इमारत को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नक्शे या नक्शे के अनुसार और इमारत बनवाने के ऐसे नियमों का पूर्णतया पालन करते हुए, बनवाकर पूरा कर लेगा जो उक्त संबद्ध क्षेत्र या स्थल पर जिसमें या जहाँ उक्त जमीन स्थित हो लागू होते हों, और तब तक इस तरीके पर उक्त जमीन पर इमारत न बना लेगा लीजधारक उक्त जमीन का प्राधिकरण के अलावा किसी को बेचान या बंधक या हिबा नहीं कर सकेगा।
6. लीजधारक उक्त जमीन या उस पर बनवाई गयी इमारत या इमारतों या उन दोनों के किसी भाग के किसी ऐसे आशय के लिए पिछले पद में निर्देशित आशय के असंगत है बिना प्राधिकरण की लिखित स्वीकृति के न तो उपयोग में लावेगा और न उपयोग में लाने की अनुमति ही देगा।
7. रियायती दर पर आवंटित उपरोक्त भूखण्ड का किसी प्रकार से हस्तान्तरण आवंटन की तिथि से 10 वर्ष पूर्व नहीं किया जा सकेगा, इस वर्ष बाद भी भूखण्ड का हस्तान्तरण राज्य सरकार/प्राधिकरण समय-समय पर निर्धारित लेवी या इम्पोस्ट की राशि के भुगतान के पश्चात् ही किया जा सकेगा।
8. यदि आवंटी द्वारा उपरोक्त शर्तों के विपरीत भूखण्ड का उपयोग हस्तान्तरण (किसी भी भांति) किया गया तो भूखण्ड प्राधिकरण में स्वतः ही निहित हो जायेगा और उसके प्रति किसी प्रकार का मुआवजा पाने का आवंटी को कोई अधिकार नहीं होगा इसके साथ ही आवंटी भविष्य में भी भूखण्ड पाने का अधिकारी नहीं होगा।
9. लीजधारक सक्षम अधिकारी को सीधे वे तमाम साधारण विशेष और स्थानीय कर मय ब्याज और लागत अदा करेगा जो उक्त जमीन या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में या उस पर बनाई गयी किसी इमारत या इमारतों, बाह्य गृहों या बाड़ियों अन्य तामीरों के सम्बन्ध में या उस समय आमद किये या लगाये गए हों और काबिल अदा हो।
10. यदि नजराना अथवा शहरी जमाबन्दी नियत तिथि तक जमा न की गई तो बकाया रकम पर नियमानुसार समय-समय पर राज्य सरकार/प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर से ब्याज व शास्ति देय होगी।

नोटः-इस प्लाट की सालाना शहरी जमाबंदी 3,22,141=00 को 4,23,92,250=00 रु. होती है।

अतएव स्टाम्प नं. 4000070762, 3912 सं. 2 बहैसियत बेचान इसके साथ लगाये जाते हैं।

उपायुक्त जोन-8 | 401 | 4,23,92,250=00 211620 रु. | (कृ.प.उ)

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जयपुर
विस्तृत नाप सहित
क्षेत्रफल वर्ग गज/मीटर

पूर्व .... पश्चिम .... प्लाट की संख्या यदि कोई हो ... होटल/आरटी संख्या
संलग्न स्थल मानचित्र अनुसार
सीमा उत्तर .... दक्षिण .... योजना का नाम कालवाड ... मानचित्र संलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

प्राधिकरण की ओर से

आज सन् 201.5.... के माह जुलाई 16 वें दिन
श्री हरि सिंह मीना, उपायुक्त, जोन-2
.... जयपुर विकास प्राधिकरण, ने निम्न की उपस्थिति में जयपुर में हस्ताक्षर किये –

....
उपायुक्त जोन 6/7/15
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

साक्षी :-

1. नाम ....
   पुत्र ....
   व्यवसाय ....
   निवास स्थान .... जयपुर

   .... साक्षी

2. नाम ....
   पुत्र ....
   व्यवसाय ....
   निवास स्थान .... जयपुर

   .... साक्षी

आज .... सन् 20 ....
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री मै. .... कम्पनी जरिये निदेशक श्री जगदीश प्रसाद गोयल
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण में हस्ताक्षर किये गये।

J.K. Goyal (Jagdish Goyal)
लीजधारक

साक्षी :-

1. नाम देवेन्द्र सिंह
   पुत्र स्व० श्री० जसवंत सिंह
   व्यवसाय ....व्यापार
   निवास स्थान 113 गुरु नानक पुरा राजापार्क जयपुर

   .... साक्षी

2. नाम सुरेन्द्र जेतावत
   पुत्र गोपाल लाल जेतावत
   व्यवसाय ......व्यापार
   निवास स्थान बी - 77 आदर्श नगर जयपुर

   .... साक्षी

451

endorsement presenter

आज दिनांक 28 माह जुलाई सन् 2014 को 03:23 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री JAGDISH PRASAD GOYAL पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री DEEPCHAND GOYAL
उम्र ______ वर्ष, जाति MAHAJAN व्यवसाय BUSSINESS
निवासी HOTEL LAND PLOT NO AT KALWAR SCHEME NEAR RAILWAY STATION JAIPUR AS DIRECTOR M/S D.C. AGARWAL null
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
(2014396004427)
(Lease deed for local bodies (Patta))

हस्ताक्षर उप पंजीयक
JAIPUR-VI

रसीद नं0	[2014396004510]
दिनांक	[28-7-2014]
पंजीयन शुल्क रू0	42330
प्रतिलिपि शुल्क रू0	0
पृष्ठांकन शुल्क रू0	300
अन्य शुल्क रू0	0
कमी स्टाम्प शुल्क रू0	0
कुल योग रू0	42630

(2014396004427) उपपंजीयक,JAIPUR-VI
((Lease deed for local bodies (Patta)))

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant)
1 -JAGDISH PRASAD GOYAL / DEEPCHAND GOYAL
उम्र -0 वर्ष जाति - MAHAJAN , व्यवसाय -BUSSINESS
निवासी - HOTEL LAND PLOT NO AT KALWAR SCHEME NEAR RAILWAY STATION JAIPUR AS DIRECTOR M/S D.C. AGARWAL

Signature Photo Thumb

(And Claiment)
1 -JDA / JDA
उम्र -0 वर्ष जाति - null व्यवसाय -WORKER
निवासी -JAIPUR

ने लेख्यपत्र Lease deed for local bodies (Patta) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया। प्रतिफल राशी रू0 4232250 /- पूर्व में/मेरेसमक्ष / मे सें रू0 4232250 /- पूर्व में -------- मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान
1- श्री/श्रीमती/सुश्री BHUPENDRA SINGH
पुत्र /पुत्री /पत्नी श्री DHEERAJ SINGH
उम्र -51 वर्ष जाति-SIKH व्यवसाय -BUSSINESS
निवासी 105, GURUNANAKPURA, ADARSH NAGAR, JAIPUR,,

ने की है जिनके समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठा के निशान मेरे समक्ष लिये गयें हैं।

(2014396004427) उप पंजीयक, JAIPUR-VI
Lease deed for local bodies (Patta)

आज दिनांक 28/7/2014 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 177
में पृष्ठ संख्या 133 क्रम संख्या 2014396003390पर
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 707
के पृष्ठ संख्या 425 से 434
पर चस्पा किया गया।

(2014396004427) उप पंजीयक, JAIPUR-VI
Lease deed for local bodies (Patta)

SITE PLAN OF PLOT No. FOR HOTEL

SCHEME KALWAR SCHEME

AREA = 2227.5 SQM

PERCENTAGE OF CONSTRUCTION AREA AS PER RULE %

SCALE — 1in = 50ft.

TOTAL AREA = 2227.50 sq mtr

ACQUIRED LAND = 495 Sq mtr

AREA LEFT = 1732.50 Sq mtr

14/7/14

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जोन-2

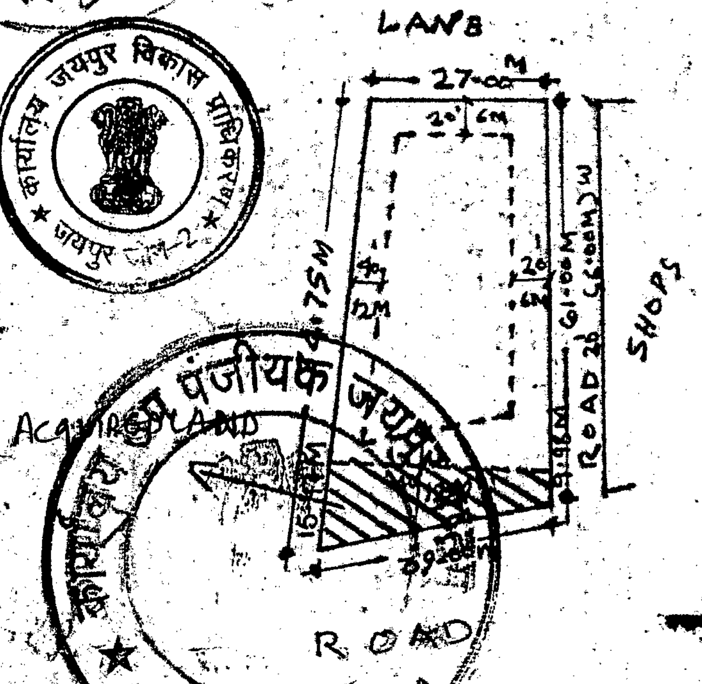

कार्यालय उप पंजीयक जयपुर

उपायुक्त जोन-2

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

31/8/95 12/9/95

Junior Engineer | Town Planning Assistant/ATP | Zonal Officer/C.R.O Dy. C. Conversion

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, JAIPUR

J.K. Goyal

ndorsement

आज दिनांक 28/7/2014 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 177
में पृष्ठ संख्या 133 क्रम संख्या 2014396003390पर
पंजिबद्व किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 707
के पृष्ठ संख्या 425 से 434
पर चस्पा किया गया।

(2014396004427) उप पंजीयक, JAIPUR-VI
Lease deed for local bodies (Patta)

कार्यालय उप पंजीयक जयपुर षष्ठम्
सत्यमेव जयते
राजस्थान

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमाक जविप्रा / जोन 2 / 2015 / डी– 1873 दिनांक 31/07/2015

उप–पंजीयक,

~~जयपुर–षष्ठम~~

उपायुक्त जोन-2 ज.वि.प्रा., जयपुर

विषय : मैसर्स डी.सी. अग्रवाल एण्ड कम्पनी जरिये निदेशक श्री जगदीश प्रसाद गोयल को होटल भूखण्ड क्षेत्रफल 1732.5 व.मी. के स्थान पर 1881.00 व.मी. की संशोधित लीज डीड के सम्बन्ध में।

संदर्भ : पूर्व जारी लीजडीड क्रमांक 401 दिनांक 16.07.2014

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मैसर्स डी.सी. अग्रवाल एण्ड कम्पनी जरिये निदेशक श्री जगदीश प्रसाद गोयल को कालवाड योजना में होटल भूखण्ड क्षेत्रफल 1732.5 व.मी. की जारी लीज डीड क्रमांक 401 दिनांक 16.07.2014 में संशोधन करने हेतु 100 / –रुपये के स्टाम्प प्रपत्र पर संशोधित लीज डीड मय संशोधित साईट प्लान संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

उपायुक्त, जोन–2
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपायुक्त जोन-2
ज.वि.प्रा., जयपुर

संशोधित लीजडीड प्रपत्र

विषय : मैसर्स डी.सी. अग्रवाल एण्ड कम्पनी जरिये निदेशक श्री जगदीश प्रसाद गोयल को होटल भूखण्ड क्षेत्रफल 1732.5 व.मी. के स्थान पर 1881.00 व.मी. की संशोधित लीज डीड के सम्बन्ध में।

संदर्भ : पूर्व जारी लीजडीड क्रमांक 401 दिनांक 16.07.2014

कालवाड स्कीम होटल भूखण्ड क्षेत्रफल 1732.5 व.मी. की लीज डीड मैसर्स डी.सी. अग्रवाल एण्ड कम्पनी जरिये निदेशक श्री जगदीश प्रसाद गोयल के नाम से जारी की गई थी जोकि उप–पंजीयक, जयपुर (षष्ठम) के द्वारा दिनांक 28.07.2014 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 177 में पृष्ठ संख्या 133 क्रम संख्या 2014396003390 पर पंजीबद्व किया एवं अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 707 के पृष्ठ संख्या 425 से 434 पर चस्पा किया गया।

मैसर्स डी.सी. अग्रवाल एण्ड कम्पनी को कालवाड स्कीम में होटल भूखण्ड क्षेत्रफल 1732.5व.मी. की लीज डीड जारी की गई थी, चुंकि जारी लीज डीड में होटल भूखण्ड में मुख्य सडक से आवागमन हेतु Entry दर्शित होने से रह गयी थी, अब मुख्य सडक की तरफ 30फीट की Entry दिये जाने का निर्णय होने पर भूखण्ड का संशोधित साईट प्लान 1732.5 व.मी. के स्थान पर 1881.00 व.मी. का जारी किया जा रहा है। जिसे जारी पूर्व लीज डीड क्रमांक 401 दिनांक 16.07.2014 का भाग मानते हुए रिकॉर्ड में दर्ज करने का श्रम करें।

उपायुक्त जोन-2
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

[illegible]

[illegible] ऋतुता

[illegible] 6/98

[illegible] प्रमाणित [illegible]

[illegible]सील, [illegible]

REVISED SITE PLAN OF PLOT FOR HOTEL

SCHEME:- KALWAR SCHEME

PERCENTAGE OF CONSTRUCTION AREA AS PER BY LAWS AS PER MAIN ROAD

TOTAL PLOT AREA	:- 2227.50 SQ.MT.	SCALE :- 1: 500
SURRENDERED FOR PARKING AREA	:- 346.50 SQ.MT	
PLOT AREA LEFT	:- 1881.00 SQ.MT	

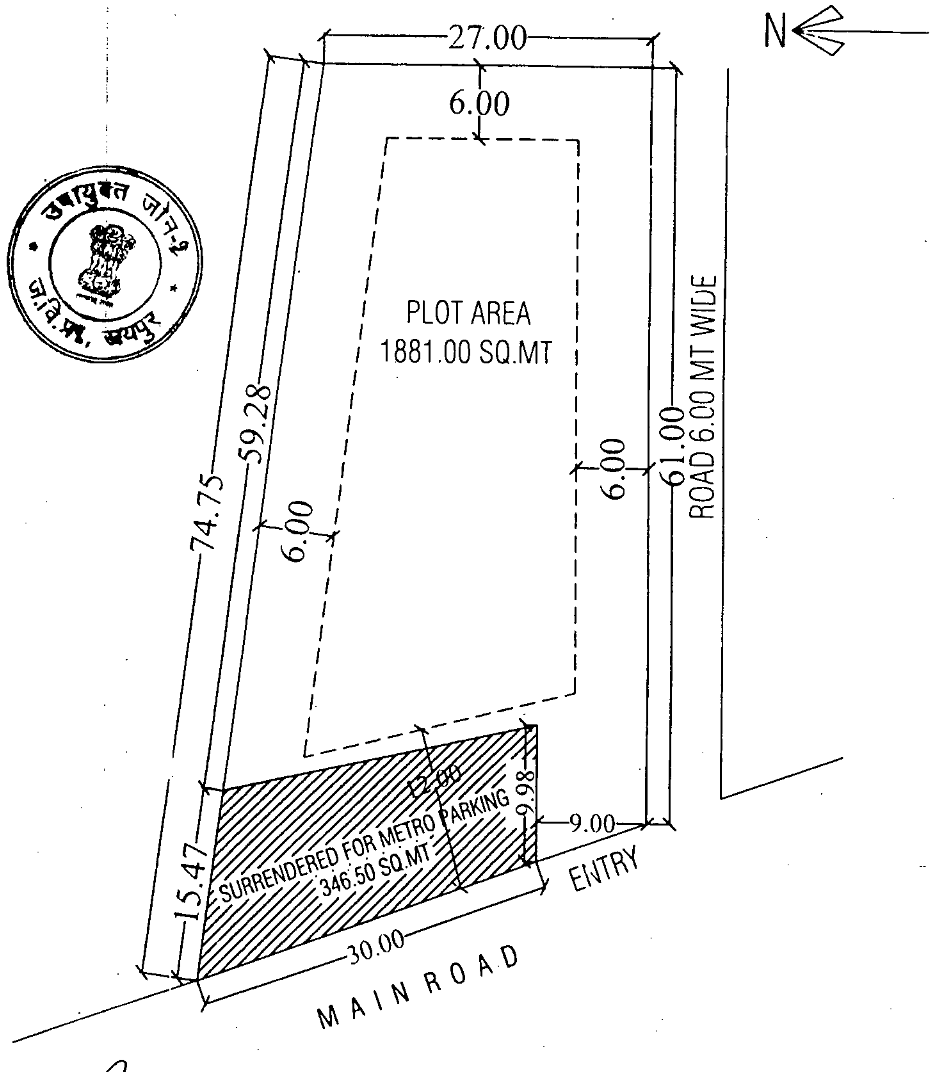

JUNIOR ENGINEER

TOWN PLANNING ASSISTANT/ATP

DY. COMMISSIONER
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

JAIPUR DEVELOPMET AUTHORITY,JAIPUR

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:जविप्रा/जोन- 2/2015/डी- 2060 दिनांक 24/8/15

मैसर्स डी.सी. अग्रवाल एण्ड कम्पनी
जरिये निदेशक श्री जगदीश प्रसाद गोयल,
निवासी बी–8ए, गोयल निवास,
गोविन्द मार्ग, राजापार्क, जयपुर

विषय : होटल भूखण्ड, कालवाड स्कीम, जयपुर का भू–उपयोग उपान्तरण होटल से वाणिज्यिक किये जाने की स्वीकृति हेतु। ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा इस कार्यालय में होटल भूखण्ड क्षेत्रफल 1881 व.मी., कालवाड योजना, जयपुर का भू–उपयोग उपान्तरण होटल से वाणिज्यिक हेतु आवेदन किये जाने के फलस्वरूप आपके प्रकरण का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त यह स्पष्ट हुआ कि उक्त होटल भूखण्ड क्षेत्रफल 1881 व.मी. का भू–उपयोग मास्टर विकास योजना–2025 में वाणिज्यिक उपयोग दर्शाया हुआ है। आपके भूखण्ड का भू–उपयोग वाणिज्यिक उपान्तरण/उपयोग हेतु अनुज्ञेय है। अतः उक्त होटल भूखण्ड का भू–उपयोग उपान्तरण वाणिज्यिक किया जाता है। भूखण्ड पर जविप्रा से मानचित्र स्वीकृत कराने के पश्चात ही भवन का निर्माण कार्य निर्धारित मापदण्ड अनुसार किया जा सकेगा।

उपायुक्त, जोन–2
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर